

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 1699

दिनांक 18/2/2025

श्रीमान् उप वन संरक्षक महोदय,
बारां।

विषय:- बिची से रामपुर उपरेटी तक सड़क का निर्माण 2.68 है० वन भूमि का
प्रत्यावर्तन हेतु।

प्रस्ताव सं:- FP/RJ/ROAD/6958/2014

प्रसंग :- श्रीमान् का पत्रांक एफ ()/एफसीए/उ.व.स./2023-24/8818

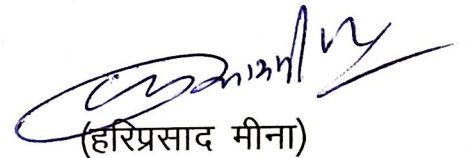
दिनांक 06.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सड़क के प्रस्ताव में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा FCA का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में श्रीमान् के कार्यालय के पत्रांक एफ ()/एफसीए/उ.व.स./17-18/16166-67 दिनांक 31.10.2018 में FCA का उल्लंघन नहीं बताया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न) तथा इस कार्यालय के पत्रांक 113 दिनांक 28.04.2023 द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रकरण को स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।



(हरिप्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

क्रमांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :

1. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता महोदय, सा.नि.वि. वृत्त बारां।

दिनांक :

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ () एफ.सी.ए./उवस/17-18/

दिनांक :-

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- Compliance report of construction of BT road from
प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/6958/2014 (2.68 ha.) Bichi Rampur To Upreti
RRSMP scheme in Rajasthan.

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक(राफ) राज. जयपुर का पत्र दिनांक 23.07.2018 के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर द्वारा पत्र
दिनांक 23.07.2018 से लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं.	Compliance of EDS dated 26-02-2018 is awaited	Reply of EDS
बिन्दु संख्या 1	बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पार्ट II में अपलोड नहीं किया गया है उक्त भूमि कहा आवंटित की गई एवं दस्तावेज कब जारी किया अंकित नहीं है।	बिन्दु संख्या 1 की पालना पूर्ण कर दी गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण पार्ट II में अपलोड कर दिया गया है। उक्त भूमि जिला बारा तहसिल अन्ता के ग्राम विलेन्डी के खसरा नम्बर 138 में आवंटित की गई एवं दस्तावेज 25.11.2014 को जारी किया था अंकित कर दिया गया है।
बिन्दु संख्या 2	बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु योजना उप वन संरक्षक द्वारा अभी पार्ट II में अपलोड नहीं की गई है हार्ड प्रति में प्रस्तुत योजना निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।	बिन्दु संख्या 2 की पालना पूर्ण कर दी गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में अपलोड कर दी गई है हार्ड प्रति में प्रस्तुत योजना निर्धारित प्रपत्र में संलग्न कर दी गई है।
बिन्दु संख्या 3	बिन्दु संख्या 3 की पालना नहीं। उप वन संरक्षक द्वारा एन0पी0वी गणना पार्ट-2 में आनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।	बिन्दु संख्या 3 की पालना पूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा एन0पी0वी गणना पार्ट-2 में आनलाईन अपलोड कर दी गई है।
बिन्दु संख्या 4	बिन्दु संख्या 7 की पालना अपूर्ण अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।	यूजर एजेन्सी द्वारा बिन्दु संख्या 7 की पालना पूर्ण अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवा कर संग्रहण कर दिये गये हैं।
B. Additional information is required.		
1	Factual status for FCA violation in the project	उल्लघन नहीं हुआ है।
2-	Original G.T sheet provided.	यूजर एजेन्सी द्वारा संग्रहण कर दी गई है।

अतः रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।



भवदीय

Sd/
(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक :- 31/10/18

क्रमांक एफ () एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 16166-68

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
3. अधीक्षाधी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

(राजीव कपूर)
उप वन संरक्षक
बारां

Seen file
19.11.18

अति आवश्यक

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023 - 24 ९४१७

दिनांक ६/७/२३

निमित्त - अधिशासी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

विषय :- बीबी से रामपुर उप्रेटी 2.68 हे० वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु।

Proposal no. FP/RJ/Road/6958/ 2014

संदर्भ :- MOEF का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 05.04.2021 के क्रम में एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5409 दिनांक 25.06.2021 एवं 5801 दिनांक 09.07.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त प्रकरण में MOEF का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 05.04.2021 द्वारा जारी ई.डी.एस के बिन्दु संख्या 1 व 2 की पूर्ति कर पार्ट- 1 में अपलोड कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें साथ ही प्रकरण में FCA अधिनियम 1980 का उल्लंघन भी पाया गया है।

अतः प्रकरण में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम, पदनाम व वर्तमान पदस्थापन की रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि उच्च कार्यालय को रिपोर्ट प्रेषित की जा सकें।

संलग्न:- पत्र

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023-24/

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1 संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 113

श्रीमान् उप वन संरक्षक महोदय,
बारां।

दिनांक 28/5/2023

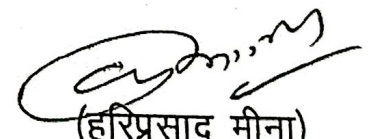
विषय:- बिची से रामपुर उपरेटी तक सड़क का निर्माण।

प्रस्ताव सं:- FP/RJ/ROAD/6958/2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में FCA का उल्लंघन बताया गया है। निवेदन है कि विभाग द्वारा वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण नहीं किया गया है तथा यहां पहले से ही कच्चा रास्ता बना हुआ है। अतः पुनः प्रस्ताव का परीक्षण किया जाना उचित रहेगा।

भवदीय



(हरिप्रसाद मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 1604

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

दिनांक : 16/03/2021

विषय :- वन भूमि की एवज में गैर वन भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- श्रीमान् का पत्रांक एफ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2020-21/988
दिनांक 11.02.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1334 दिनांक 22.01.2021 द्वारा निम्न सड़कों के निरस्तीकरण हेतु आपके टिप्पणी हेतु भिजवाया गया था। इन सड़कों पर आप द्वारा की गई टिप्पणी निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	आई.डी. नं.	आवंटित भूमि	जमा राशि	वर्तमान स्थिति
1	दीची से रामपुर उपरेटी तक सड़क निर्माण	FP/RJ/Road/6958/2014	2.68 है.	शून्य	Violation किया जा चुका है।
2	राजपुर बैठा सड़क से ईसाटोरी (वास्तव में रामपुर उपरेटी से ईसाटोरी)	FP/RJ/Road/8746/2014	2.97 है.	शून्य	Violation किया जा चुका है।
3	नेहरुपुरा से डिरी सड़क निर्माण	FP/RJ/Road/6956/2014	3.20 है.	शून्य	Violation किया जा चुका है।
4	करवाथाना से वनमगावां का उन्नयनीकरण	FP/RJ/Road/6997/2014	5.20 है.	शून्य	Violation नहीं हुआ ग्रेवल रोड है।
5	ढिकोनिया से तलावडा सड़क	FP/RJ/Road/6999/2014	7.50 है.	शून्य	Violation किया जा चुका है।
6	कंदारकुई से मुहाल सड़क	FP/RJ/Road/9215/2015	4.30 है.	शून्य	Violation किया जा चुका है। ग्रेवल रोड है।
7	पाटरी से भटगाव सड़क	FP/RJ/Road/42427/2009	3.0 है.	2960774.00	ग्रेवल रोड है।
	योग		28.85 है.	2960774.00	

उक्त सभी सड़कों पर निरस्तीकरण हेतु श्रीमान् की टिप्पणी चाही गई थी, परन्तु प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त 5 सड़कों पर Violation बताया गया है। एवं 2 सड़कों पर ग्रेवल रोड बताया गया है।

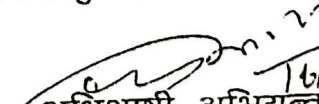
अतः इस सन्दर्भ में निवेदन है कि खण्ड शाहाबाद की 5 सड़कों पर विभाग द्वारा कोई Violation नहीं किया गया है, तथा उक्त सभी 7 सड़कें पहले से ही कच्ची/ग्रेवल/कच्चा ट्रेक है। तथा 1 सड़क खण्ड छवडा की है। अतः श्रीमान् सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़कों पर पक्का सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित था परन्तु अभी विभाग द्वारा इनकी स्वीकृतियां निरस्त कर दी गई हैं। अतः उक्त प्रकरणों को निरस्त करने का श्रम करावे।


(हरि प्रसाद मीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद
दिनांक : 16/03/2021

क्रमांक : 1604

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि वृत्त बारां के सूचनार्थ प्रस्तुत है।


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद